न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/113/18	09–10–2019	13–08–2019

1. वेद प्रकाश मुखीजा पुत्र स्व0 गणेश दास मुखीजा मकान नम्बर 16 न्यू फ्रेण्डस कॉलोनी थाना अरावली विहार अलवर, जिला अलवर।

अपीलान्ट

बनाम

2. श्रीमती सोनिया पत्नि कपिल मुखीजा पुत्री लक्ष्मण दास भाटिया मकान नम्बर 16 न्यू फ्रेण्डस कॉलोनी थाना अरावली विहार अलवर, जिला अलवर।

रेस्पौडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अलवर दिनांक 10–08–2018

उपस्थितः–

01. श्री प्रवीण सक्सैना –वकील अपीलान्ट
02. श्री भूपेन्द्र कुमावत –वकील रेस्पौडेन्ट

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत धारा–16 माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अलवर के आदेश दिनांक 10–08–2018 से व्यथित होकर प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पत्रावली तहत तलब की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट 66 वर्षीय वृद्व वरिष्ठ है जो राजकीय सेवा से सेवानिवृत हुआ है जो न्यूरो व क्रोनिक डिप्रेशन से ग्रसित है तथा अपीलान्ट की पत्नि जो करीब 62 वर्ष की वृद्वा महिला है जो गठिया, थायराईड घुटनों के दर्द की बीमारी से ग्रसित है। रैस्पा0 एक लालची व क्रुर स्वाभाव की महिला है, जिसने विवाह के पश्चात् से ही अपीलान्ट व उसकी पत्नि व अन्य परिवार के सदस्यों के साथ लगातार क्रुरतापूर्ण व्यवहार किया तथा धर में इतने अधिक क्लेश किये कि अपीलान्ट को उसके पुत्र व रैस्पा0 को अपील तमाम चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल करना पडा तथा धर से अलग करना पडा। रैस्पा0 ने अपीलान्ट के पुत्र व उसकी पत्नि के विरूद्व एक झूठा मुकदमा धरेलू हिंसाओं से महिलाओ का संरक्षण अधिनियम के तहत न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत कर दिया जो वर्तमान में न्यायालय में लंबित है। अपीलान्ट ने अपनी सेवानिवृति के उपरान्त जो धनराशि उसके सेवा के दौरान मिली थी उससे एक मकान नम्बर 16 न्यू फ्रेण्डस कॉलोनी में खरीद किया है,जिसका तन्हा मालिक है। अपीलान्ट–अपनी पत्नि के साथ शांतिपूर्ण तरीके से जीवन व्यतीत करना चाहता है किन्तु रैस्पा0 जिसे अपने पुत्र के साथ धर से बेदखल कर दिया था ने जबरन अपने परिवार के सहयोग से अपीलान्ट के उक्त मकान के पीछे की ओर एक कमरे में जबरन कब्जास किया हुआ है व जबरन रिहायश करती है और अपीलान्ट व उसकी पत्नि के साथ झगडा व गाली

जिला कलक्टर अलवर (राज0)

गलौज करती है, शांतिपूर्ण तरीक से जीवन यापन करना दूभर कर रखा है। रैस्पा0 अपीलान्ट पर दबाव देकर मकान विक्रय करने के लिए मजबूर करती है और धमकी देती है कि मकान विक्रय कर दो तथा विक्रय करके समस्त रकबा व दस लाख रूपये दे दो नही तो तुम्हें जान से मार दूँगी। अपीलान्ट को जान–माल का खतरा भी बना रहता है। तहत अदालत में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत मात–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 सपठित राज0 सरकार माता पिता व वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2010 के तहत पेश किया गया जिस पर कोई गौर नही किया अपीलीय निर्णय खिलाफ कानून खिलाफ खारिज करते हुए आदेश दिया कि धर के अलग हिस्सो में बहू व सास श्वसुर शांतिपूर्वक निवास करें एवं धर का सामान का उपयोग उपभोग करने में दोनो पक्ष एक दूसरे के प्रति किसी प्रकार की कोई बाधा पैदा नही करें। अपीलान्ट अपनी पत्नि के साथ शांतिपूर्ण तरीके से जीवन व्यतीत कर रहें, किन्तु रैस्पा0 झगडा करती है और अभद्रता से पेश आती है। रैस्पा0 के द्वारा किये गये क्रूरतापूर्ण कृत्यो के कारण अपीलार्थी ने रैस्पा0 को अपनी सम्पत्ति से बेदखल किया हुआ है। अपीलान्ट रैस्पा0 से शारीरिक व पारिवारिक सुविधाओं से महरूम हो गया है, इनके लडाई झगडें एवं विवादों से अपीलार्थी बहुत गम्भीर घुटर महसूस कर रहा है। उनके आचरण से अपीलान्ट दुखी तो है उसके साथ ही जीने की लालसा भी क्षीण होती जा रही है। अपीलान्ट के पुत्र कपिल कुमार मुखीला द्वारा रैस्पा0 से तलाक याचिका राज0 उच्च न्यायालय पीठ जयपुर में विचाराधीन है। प्राकृतिक न्यायिक सिद्वान्तों को दृष्टिगत रखते हुये जांच के बिना निर्णय पारित करना न्यायोचित नहीं माना जा सकता है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावें अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावें। अपने कथन की पुष्टी में तलाक याचिका के आदेश के विरूद्व की गई अपील राज0 उच्च न्यायालय पीठ जयपुर की प्रति पेश की गई।

विद्वान वकील रैस्पा0 ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट एवं उसका पुत्र परिवार के लोगो के साथ रैस्पा0 को विवाह कर 16 न्यू फ्रेण्डस कॉलोनी स्थित मकान में लेकर आये थे। रैस्पा0 को पति कपील नर्सिगकार्मी है। दहेज व अन्य पूर्ति कराने के निती से लालची एवं क्रुर स्वभाव की महिला रैस्पा0 को बताकर महिल के साथ अत्याचार करने की मंशा रखने वाला बेईमान व दहेज का लोभी व्यक्ति है। रैस्पा0 की शादी करीब 9–10 वर्ष हो गये, अपीलान्ट को बेटा व अपीलान्ट के साथ शांतीपूर्वक 16 न्यू फ्रेण्डस कॉलोनी में रही है। रैस्पा0 4 साल से अपीलान्ट के मकान में पिछंले हिस्से में जहा पशु आदि बाधने की जगह है वहां रह रही है। बिजली पानी भोजन बनाने की कोई सुविध नहीं है। अपीलान्ट के बेटा कपिल कुमार ने न्यायालय न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 13 हिन्दू विवाह अधिनियम पेश किया गया था–जो माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 2.3.19 को खारिज कर दिया गया है। तहत अदालत के आदेश में कोई कमी नही है, आदेश नियमानुसार पारित किया है अतः अपील खारिज फरमाई जावें। अपने कथन की पुष्टी में प्रमुख चिकिस्ता अधिकारी अलवर का पत्रांक दिनांक 4.1.19 व दिनांक 19.1.19 प्रति, माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 2.3.19 को पारित आदेश की प्रति पेश की गई।

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

हमनें बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है अपीलान्ट ने अपील पेश कर मुख्य तर्क यह उठाया है रैस्पा0 एक लालची व क्रुर स्वाभाव की महिला है, जिसने विवाह के पश्चात् से ही अपीलान्ट व उसकी पत्नि व अन्य परिवार के सदस्यों के साथ लगातार क्रुरतापूर्ण व्यवहार किया तथा धर में इतने अधिक क्लेश किये कि अपीलान्ट को उसके पुत्र व रैस्पा0 को अपील तमाम चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल करना पडा तथा धर से अलग करना पडा। तहत अदालत के निर्णय का अवलोकन किया। तहत अदालत ने अपने निर्णय में निष्कर्ष निकाला है कि अपीलान्ट व रैस्पा0 के मध्य विवाद भरण पोषण के संबंध में प्रतीत न होकर सम्पत्ति (मकान) का प्रतीत होता है। अपीलान्ट को भरण पोषण की कोई समस्या नहीं है। अपीलान्ट ने ऐसा कोई तथ्य पेश नहीं किया जिससे यह प्रमाणित होता हो कि तहत अदालत द्वारा निकाला गया निष्कर्ष गलत व निराधार हों। बल्कि अपील में अंकित तथ्यों से यह प्रतीत होता है कि भरण पोषण की समस्या न होकर जायदाद से संबंधित समस्या है। अपीलान्ट का प्रथम आरोप है कि रैस्पा0 एक क्रुर स्वाभाव की महिला है उसने अपीलान्ट व उसके परिवार वालो को बेजा परेशान कर रखा है, अपीलान्ट का यह आरोप तथ्यहीन है जबकि अपीलान्ट व रैस्पा0 एक साथ एक ही मकान में निवास कर रहें है। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलान्ट ने अपील रैस्पा0 को परेशान करने की दृष्टि से पेश की हो। अगर रैस्पा0 झगडालू महिला है और परेशान करती है/मकान से पृथक करने का है, तो उसको चाहिए कि व सक्षम न्यायालय में चाराजोही करें। हम तहत अदालत के निर्णय में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझतें है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर तहत अदालत का आदेश दिनांक 10–08–2018 यथावत रखा जाता है। निर्णय प्रति के साथ पत्रावली तहत वापस भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 13–08–2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(इन्द्रजीत सिंह)
जिला कलक्टर, अलवर

जिला कलक्टर
अलवर (राज.)